वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 124 /2025 ***दिनांक- 04.04.2025***

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 04.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना – तरवां: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ की पुत्री को दिनांक 15-03-2025 को समय लगभग 8.30 बजे विपक्षी सतीष कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी ऐराखुर्द थाना तरवां आजमगढ अपने साथ बहला फूसला कर भगा ले गये, आवेदिक द्वारा बहुत खोज बीन किया लेकिन कुछ पता नही चला। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 18.03.2025 को थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 57/25 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0** बनाम 1.सतीष कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी ऐराखुर्द थाना तरवां आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जय प्रकाश द्वारा सम्पादित की जा रही है विवेचना से अभियुक्त व अपहता के मो0नं0 का लोकेशन थाणे महाराष्ट्र में मिला जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय परिक्षेत्र आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ के आदेश के प्रत्याशा में उ0नि0 मय हमराह कर्मचारीगण के दिनांक-30.03.2025 को अभियुक्त व अपहता की बरमादगी उद्देश्य से थाणे महाराष्ट्र पहुंचे।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-30.03.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा अभियुक्त व अपहता की बरामदगी के उद्देश्य से थाणे महाराष्ट्र पहुंचा जहाँ अभियुक्त व अपहता का लोकेशन नारपोली पुलिस स्टेशन भिमण्डी की तरफ मिला जिसके क्रम में तलाश करता हुआ नारपोली पुलिस स्टेशन भिमण्डी महाराष्ट्र आया जहां मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त व अपहता सड़क के किनारे ठिकाने की तलाश में घुमते हुये दिखायी दिये पास जाकर नाम पता पूछा गया तो हाथ में बैग लिया व्यक्ति अपना नाम **सतीष कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी ऐराखुर्द थाना तरवां आजमगढ** बताया व साथ में महिला मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त व अपहता होने के पूर्ण विश्वास होने पर समय करीब 23.30 बजे दिनांक-01.04.2025 को अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में तथा अपहता को महिला आरक्षी पूनम मौर्या के देखरेख में थाना नारपोली के रपट नं0-51 दिनांक-01.04.2025 समय.......23.48 बजे दाखिल किया गया अभियुक्त का बाद मेडिकल परिक्षण ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक-02.04.2025 को मा0न्याया0 Jt. C.J.J.D&J.M.F.C BHIWANDI महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया .मा0न्याया0 द्वारा अभियुक्त का दिनांक-04.04.2025 समय 5.00 पीएम बजे तक ट्रान्जिट रिमाण्ड स्वीकृत किया गया है । अतः अभियुक्त व पीड़िता को थाना हाजा पर लाकर आज दिनांक-04.04.2025 रपट नं0-21 संमय.. 12.33 बजे दाखिल कर अभियुक्त का मा0न्याया0 रिमाण्ड हेतु रवाना किया गया तथा पीड़िता का म0का0 रिचा पाण्डेय की सुपुर्दगी मे देकर मेडिकल हेतु रवाना किया गया।

02.थाना पवईः जानलेवा हमला करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना---

दिनांक 30.03.25 को वादिनी कौशिल्या पत्नी छोटकुन यादव ग्राम भानीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये तहरीर दिनांकित 30.03.2025 को विपक्षी ग्राम सुल्तानपुर के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना पवई आजमगढ को वृद्धा पेशन बनवाने हेतु दिये गये पैसे कुल 500 रूपये मांगने के लिये सुरेन्द्र कुमार यादव उपरोक्त के घर जाने पर विपक्षी द्वारा गाली गुप्ता देने तथा मना करने लाठी डण्डा से आवेदिका के लडके राजेश ग्रादव पुत्र छोटकुन यादव को मारने पीटने जिससे राजेश ग्रादव को गम्भीर चोटे आने तथा मौके पर बेहोश हो जाने व विपक्षी द्वारा जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 112/2025 धारा 115(2)/352/351(2)110** भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.04.25 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना पवई आजमगढ** को समय करीब 11.50 बजे ग्राम मिल्कीपुर से ग्राम सुल्तानपुर मार्ग पर गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार यादव के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा को बरामद किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

03.थाना पवई: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि **आज दिनांक 04.04.25 को व0उ0नि0 शिवसागर यादव** मय हमराह के द्वारा अभियुक्त **काशी नोना पुत्र लल्लू निवासी ग्राम टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़** को कस्बा पवई से माहुल मेन रोड फत्तनपुर मोड़ से 100 मीटर दूरी **पर समय करीब 02.55 बजे एक अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः मु0अ0सं0 115/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

1-मु०अ०सं० 81/2023, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

2- मु०अ०सं० 319/2023, धारा 3 (1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

3- मु०अ०सं० 497/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

4- मु0अ0सं0 115/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.04.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारवास व 6500-6500/- रुपये** से दण्डित किया गया।

थाना रौनापार: गैर इरादतन हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कठोर कारवास व प्रत्येक को 6500-6500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 20.06.2007 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र तलकू राम निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 19.06.2007 को वादी की माता मंजी देवी को विपक्षी **1. सुनील पुत्र राम सिंगार 2. सुद्धू पुत्र राम केवल 3. पप्पू उर्फ रणविजय पुत्र रामकेवल समस्त निवासीगण बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे से मारकर घायल कर देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया था।**

➡ अभियुक्तो के **विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 349/2007 धारा-323, 34, 304, 504, 506 भादवि** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में **07 गवाह परीक्षित** हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 04.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1. सुनील पुत्र राम सिंगार 2. सुद्धू पुत्र राम केवल 3. पप्पू उर्फ रणविजय पुत्र राम केवल समस्त निवासीगण बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारवास व 6500-6500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**